मोबाईल नं. –7060002410
ई–मेलः sewaone1@gmail.com

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

सं0 271/55/03/डी0आर0(मा0शि0)/ सेवा–1/2014–15 हरिद्वार :: दिनाँकः: 04 सितम्बर, 2015

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा (सामान्य/महिला शाखा)–2014

साक्षात्कार –ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा (सामान्य/महिला शाखा)–2014 के अन्तर्गत प्रवक्ता पद पर चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में पूर्वाह्न 9.30 बजे/अपराह्न 12.30 बजे होना निर्धारित है।

2– इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार तिथि पर प्रस्तुत करेंगे– (क) विस्तृत आवेदन–पत्र **(Detailed Application Form)** (ख) प्रमाणीकरण–प्रपत्र **(Attestation Form)** (ग) देशना–प्रपत्र **(Index Card)** तथा (घ) विभिन्न परीक्षाओं के प्रमाण–पत्र/प्राप्तांकों के विवरण का प्रपत्र।

3– अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित **मूल प्रमाण–पत्र** आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे :–

- **(i)** हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
- **(ii)** इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
- **(iii)** स्नातक उपाधि एवं समस्त अंक–तालिकाएं।
- **(iv)** परास्नातक उपाधि एवं समस्त अंक–तालिकाएं।
- **(v)** बी0एड0 उपाधि एवं अंक–तालिका।
- **(vi)** अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
- **(vii)** श्रेणी/उपश्रेणी के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण–पत्र एवं स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों का अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (दिनांक 27.01.2015) को वैध होना आवश्यक है।
- **(viii)** उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीयन सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा यदि अभ्यर्थी राज्य की राज्याधीन सेवाओं में सेवारत हो, तो विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- **(ix)** विशेष योग्यता एवं अनुभव, जिसका दावा किया हो, सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
- **(x)** यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

4– साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क **रू. 100.00 (आरक्षित वर्ग से रू. 60.00)** आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5– साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज (आवक्ष) के नवीनतम् दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6– यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण–पत्र **(Certificate)** अथवा उपाधि **(Degree)** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7– विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8– आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

भवदीय

(अनुसचिव)
कृते सचिव